

प्रशासकीय आदेश संख्या : 84 / 2024, (जौनपुर जजशिप)


दिनांक : अप्रैल 23, 2024 ई0

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक-3551/V-CPC/e-Courts दिनांकित 05.01.2024 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने पत्र दिनांक 06.11.2023 के साथ संलग्न मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जनपद न्यायालयों में अभिगम्यता समिति (Accessibility Committee) के गठन हेतु जनपद न्यायाधीश को निर्देशित किया गया है। समिति के सदस्य 01 अपर जिला जज, 01 उप न्यायाधीश, 01 अधिवक्ता (अधिमानता विकलॉग व्यक्ति), 01 कोर्ट मैनेजर, 01 डी0एस0ए0 होंगे। पूर्व में गठित समिति के सदस्य श्री विवेक विक्रम, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम, जौनपुर का स्थानान्तरण अन्य जजशिप में हो जाने के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के पत्र में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराये जाने हेतु समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम व पदनाम	अध्यक्ष/सदस्य
1	श्री मौ0 शारिक सिद्दीकी, अपर जिला जज, चतुर्थ, जौनपुर।	अध्यक्ष
2	श्री अनुज कुमार जौहर, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम, जौनपुर।	सदस्य
3	श्री अमिताभ श्रीवास्तव, कोर्ट मैनेजर, जनपद न्यायालय, जौनपुर।	सदस्य
4	श्री श्यामलाल सरोज, डी0एस0ए0, जनपद न्यायालय, जौनपुर।	सदस्य
5	श्री गिरीश कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट, सिविल कोर्ट, जौनपुर।	सदस्य

समिति को निर्देशित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

अतः तदनुसार सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाय।


(वाणी रंजन अग्रवाल)
जनपद न्यायाधीश
जौनपुर। 23-4-24
23.04.2024

जनपद न्यायालय जौनपुर में गठित
Accessibility Committee की बैठक सूचना

1. श्री अनुज कुमार जौहर, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, जौनपुर। (सदस्य)
2. श्री अभिताभ श्रीवास्तव, कोर्ट मैनेजर (सदस्य)
3. श्री गिरीश कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट (सदस्य)
4. श्री श्याम लाल सरोज, डी0एस0ए0 (सदस्य)

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 3551/V-CPC/eCourts दिनांकित 05.01.2024 के अनुपालन में तथा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के प्रशासकीय आदेश संख्या 25/2024 दिनांकित 09.01.2024 एवं तत्सम्बन्धी प्रशासकीय आदेश संख्या-84/2024 दिनांकित 23.04.2024 के द्वारा मेरी अध्यक्षता में Accessibility Committee का गठन करते हुए आप सब को उक्त कमेटी के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। साथ ही यह निर्देशित किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जावे।

उक्त के अनुपालन में आज दिनांक 24.04.2024 को समय 1.45 बजे उक्त समिति की प्रथम त्रैमासिक बैठक मेरे विश्राम कक्ष में आहूत की गयी है। उक्त बैठक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करने हेतु विचार विमर्श किया जायेगा। समिति की बैठक में सभी सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है।

उक्त आहूत बैठक की सूचना डी0एस0ए0 द्वारा समस्त सदस्यों को अपने स्तर से दी जावे।

दिनांक: 24.04.2024 ई0।

1 → ACJm-I-13

2 →

3 → [Signature] 24/4/24

4 → [Signature] DSA 24.4.2024

[Signature]
(मौ0 शारिक सिद्दीकी),
अपर जिला जज द्वितीय/
अध्यक्ष
Accessibility Committee
जौनपुर।

**जनपद न्यायालय, जौनपुर में गठित
(Accessibility Committee) की त्रैमासिक बैठक का वृत्तांश**

आज दिनांक 24.04.2024 को सायं अपराह्न 1.45 बजे अपराह्न मेरे विश्राम-कक्ष में आहूत की गयी जिसमें मेरे अतिरिक्त समिति के सदस्यगण श्री अनुज कुमार जौहर, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम, श्री अमिताभ श्रीवास्तव, कोर्ट मैनेजर, श्री श्यामलाल सरोज डी0एस0ए0 तथा श्री गिरीश कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट उपस्थित रहे। इसके पहले इस कमेटी की प्रथम बैठक दिनांक 18.01.2024 को हुई थी जिसमें मानक संचालन प्रक्रिया में दिये गये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किये गये प्रक्रिया का अक्षरशः पालन करने हेतु विचार-विमर्श किया गया एवं उसको जनपद न्यायालय जौनपुर की वेवसाइट पर भी अपलोड किया गया। उक्त दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन में तथा समिति की पूर्व में हुई विचार विमर्श बैठक के क्रम में आज की आहूत की गयी बैठक में समेकित रूप से निम्न प्रस्ताव परित किया गया :-


1. आज समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि समिति के लिये गठित ई-मेल पते-committeeaccessibility@gmail.com को प्रचारित एवं प्रसारित किया जावे तथा जिला न्यायालय की वेवसाइट पर भी अपलोड किया जावे जिससे असक्षम अधिवक्तागण/वादकारीगण/न्यायिक अधिकारीगण उक्त ई-मेल का प्रयोग कर अधिकाधिक उक्त सुनिधा का लाभ उठा कर ई-फाईलिंग कर सकें।
2. असक्षम अधिवक्तागण/वादकारीगण की सूची का अवलोकन से विदित है कि अब तक मात्र कुल 5 अधिवक्तागण ही सूची बद्ध किये गये हैं। असक्षम अधिवक्तागण/वादकारीगण की सूची में नये नामों की वृद्धि हेतु पुनः पत्र प्रेषित किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ, जौनपुर एवं तहसील स्तर के ग्राम न्यायालयों में अधिवक्ता समितियों को पुनः पत्र प्रेषित किया जावे।
3. अभिगम्यता समिति की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार केवल असक्षम अधिवक्ता ही स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि/लिपिक के द्वारा ई-फाईलिंग की सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं न कि प्रत्येक व्यक्ति इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। इस सम्बन्ध में भी समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। इस बात को भी न्यायालय की वेवसाइट पर अपलोड किया जावे।
4. समिति की बैठक में इस बात पर भी विचार किया गया कि सभी दस्तावेज डिजिटली हस्ताक्षरित होने चाहिये एवं केवल ई-स्टाम्प का ही प्रयोग किया जा सकेगा।
5. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में किये गये कार्यों एवं दाखिल/निस्तारित वादों की संख्या सूची भी प्रकाशित करेगी जिसको न्यायालय की वेव साइट पर अपलोड के साथ ही माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद भी समय-समय पर सूचित करेगी।





6 उक्त बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अभिगम्य दस्तावेज (Accessible Documents) की जाँच करने हेतु एवं वादकारियों की समस्याओं के निराकरण/सहयोग हेतु डी0एस0ए0 एवं एस0ए0 का आपेक्षित सहयोग लिया जावे।


7. बैठक में यह भी विचार विमर्श कि यदि किसी आवश्यक समस्या का निराकरण करना हुआ या माननीय उच्च न्यायालय का कोई दिशा निर्देश मिला तो समय पूर्व बैठक आहूत कर उक्त पर विचार विमर्श किया जायेगा।


इसके अतिरिक्त अन्य किसी विन्दु पर विचार विमर्श नहीं किया गया और आज की बैठक अग्रिम तिथि तक के लिये स्थगित की गयी।


(अनुज कुमार जौहर),
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम्/ सदस्य,
Accessibility Committee
जौनपुर।


(मौ0 शारिक सिद्दीकी),
अध्यक्ष,
अपर जिला जज द्वितीय,
Accessibility Committee
जौनपुर।


(अमिताभ श्रीवास्तव),
कोर्ट मैनेजर/ सदस्य,
Accessibility Committee
जौनपुर।


(श्याम लाल सरोज),
डी0एस0ए0/सदस्य,
Accessibility Committee
जौनपुर।


(गिरीश कुमार श्रीवास्तव)
एडवोकेट/सदस्य,
Accessibility Committee
जौनपुर।